वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत वनभूमि प्रत्यापवर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजस्व अधिसूचना अनुसार)
भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

01.	परियोजना विवरण	
)	अनेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना / स्कीम का सक्षिप्त विवरण	132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. बारसूर से बीजापूर लाईन का निर्माण कार्य किया जाना स्वीकृत है।
(II)	150000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनो की सीमाओ को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है
(III)	परियोजना की लागत	7840 लाख
(IV)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	जिला–बीजापुर, जो राज्य के सूदूर दक्षिण में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। यह जिला राज्य की राजधानी रायपुर से 488 कि.मी. एवं आयुक्त कार्यालय बस्तर से लगभग 200 कि.मी. दूर घने जंगलो से घिरा जिला है। वर्तमान में जिले में विघुत आपूर्ति 100 कि.मी. दूर स्थित 220 के.व्ही. उपकेन्द्र बारसूर से 33 के व्ही की लाइन के माध्यम से किया जा रहा है। चूकिं 33 के.व्ही. की लाइन के घने जंगलो से होकर गुजरने से विघुत आपूर्ति बार–बार बाधित होती है एवं लाइन की लंबाई अधिक होने से क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या भी है। इस समस्या के निराकरण हेतू एवं जिला मुख्यालय होने के कारण बीजापुर में 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना स्वीकृत है जिसके लिये 132 के.व्ही बारसुर – बीजापुर लाईन का निर्माण किया जाना है। इससे उस क्षेत्र में निरंतर गुणवत्तापुर्ण विघुत की आपूर्ति होने से क्षेत्र का सर्वागीण विकास होगा एवं उस क्षेत्र के निवासियों को नये रोजगार उपलब्ध होंगे ।
V)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	परियोजना निर्माण से लाभ होगा
(VI)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना	विघुत व्यवस्था सुचारू रूप से प्रदान किये जाने से उस क्षेत्र में औधोगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित होंगें एवं निवासियों को रोजगार उपलब्ध होगा । सिंचाई के साधन में विस्तार होने से कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी।
02	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	99.419 हेक्टेयर वन भूमि में 132 के.व्ही. लाईन का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन कियों जाने बाबत
03	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण यदि कोई है	
(I)	परिवारो की संख्या	निरंक
(II)	अनुसुचित जाति /जनजाति के परिवारो की संख्या	निरंक
(III)	पुर्नवास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	निरंक
04	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम –1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ / नही)	निरंक
05	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके	शासन के द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित किया

	अनुरक्षण और / या दण्डास्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (संलग्न की जाए) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ / नही)	जाएगा वह छ.रा.वि.पारें.कंपनी द्वारा पालन किया जायेगा
06.	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रो / दस्तावेजो का ब्यौरा ।	प्रस्ताव में लगाया जाएगा

हस्ताक्षर

दिनांकः– 20/05/2016

स्थानः– भिलाई–3

प्रवीण प्रकाश सिंग
कार्यपालन अभियंता
अति उच्च दाब (संधारण) संभाग
बिजली नगर, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

EXECUTIVE ENGINEER
EHT (Maintenance) Dn.
C.S.P. Trans.C.L., Bhilai-3

CIN-U40108CT2003SGC015820

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION CO. LTD.

(GOVERNMENT OF CHHATTISGARH UNDERTAKING)
O/o EE:EHT(Maint.)Dn.CSPTCL Bhilai
Q-C-7&8, Bijali Nagar colony Bhilai-3 District-Durg(CG.) Pin No.490021
Website:-www.cseb.gov.in, E-mail ID- eeehtmaint.bhilai@cseb.gov.in, Phone/Fax- 0788-2289229

No. 052/3200/ Wks/ 286 Bhilai Dt. 20/05/2016

Name of Project:- Construction of 132 KV Transmission line from 220/132KV Sub-Station Barsoor to Bijapur.

The district Bijapur is extereme South West District of C.G. State about 488 Km away from Capital Raipur & about 200 KM from Jagdalpur Surrounded by dense forest. The present power supply of Bijapur District Manged through about 100 Km long 33 KV line from Barsoor / Kirandul this line passed through dense forest, due to long length of line these area phasing acute low voltage problem and limited availability of power. Due to long length & forest reliability of supply has also badly affected and many times supply effected for a couple of days.

The complete area of Bijapur Geographically surrounded from hill range & forest, and for Construction of line the forest land in the route of transmission line cannot be avoided. During survey the route of transmission line has optimized by considering minimum involvement of forest land and minimum tree falling.

(PRAVEEN PRAKASH SINGH)
EXECUTIVE ENGINEER
EHT(MAINT) DN: CSPTCL:BHILAI

EXECUTIVE ENGINEER
EHT (Maintenance) Dn.
C.S.P. Trans.C.L., Bhilai-3